

झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., झुंझुनू

प्रधान कार्यालय, इन्दिरा नगर, झुंझुनू

फोन न. 01592-237366, 232658, 235725

ccb.jhunjhunu@gmail.com फैक्स न. 01592-232213

(आयोजना एवं विकास अनुभाग)

क्रमांक :- जेकेएसबी/फा.()/आवि./2023-24/ 6647

दिनांक :- 16/11/23

शाखा प्रबन्धक,

शाखा

विषय :- विभिन्न ऋणों पर ब्याज दरों में संशोधन के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासकीय प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 09.11.2023


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत बैंक के प्रशासकीय प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 09.11.2023 के क्रम में बैंक की निम्न ऋण योजनाओं पर लागू ब्याज दरों में दिनांक 20.11.2023 से निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है -

क्र.स.	योजना का नाम	संशोधित ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)
1	व्यक्तिगत ऋण योजना	12.00
2	व्यक्तिगत साख सीमा ऋण योजना (पैक्स मैनेजर)	9.50
3	सम्पत्ति के विरुद्ध रहन ऋण योजना	12.00
4	समितियों को दृष्टिबंधक साख सीमा ऋण	11.00
5	व्यापारिक साख सीमा ऋण योजना	12.00
6	समितियों को डेयरी ऋण योजना	10.00
7	स्वयं सहायता समूह ऋण योजना	12.00
8	समिति को स्वयं सहायता ऋण योजना	11.00
9	संयुक्त दायित्व समूह ऋण योजना	11.00
10	समितियों को संयुक्त दायित्व समूह ऋण योजना	10.00
11	आवास ऋण	8.80

12	बैंक स्टॉफ को आवास ऋण	8.00
13	वाहन ऋण	9.25
14	बैंक स्टॉफ को वाहन ऋण	8.00
15	व्यावसायिक वाहन ऋण	12.00
16	ज्ञानसागर शिक्षा ऋण योजना	9.00
17	कृषि प्रयोजन ऋण अन्य	11.00
18	अकृषि प्रयोजन ऋण अन्य	12.00

उपरोक्त ब्याज दरें दिनांक 20.11.2023 से वितरित ऋणों पर प्रभावी होगी। अन्य ऋण योजनाओं पर ब्याज दरें पूर्वानुसार यथावत रहेगी।




(दीपक)
प्रबन्ध निदेशक
दिनांक 20/11/23
कुम्भुन (राज०)

कमांक :-जेकेएसबी/फा. ()/आवि/2023-24/6648

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. श्रीमान प्रशासक एवं जिला कलक्टर झुंझुनू।
2. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय, शीर्ष बैंक, जयपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी/अति. अधि. अधिकारी, बैंक।
4. मुख्य/वरिष्ठ (प्रबन्धक प्रशासन/निप/परि/आवि/ईडीपी/स्टोर) बैंक।
5. सहा. अधि. अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक, शाखा
6. व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., द्वारा संबंधित शाखा।
7. पत्रावली।



प्रबन्ध निदेशक
कुम्भुन केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०
कुम्भुन (राज०)